

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/
प्रार्थी

1365
बनाम

दिनांक - 14/04/23
अप्रार्थीगण

1 पदमाराम पुत्र गोकलाराम जाति जाट निवासी महेशाणी गोदारों की ढाणी, रामदेरिया (हाथीतला) तहसील व जिला बाड़मेर।


1 हनुमानराम 2 मदाराम 3 मांगाराम 4 नवल किशोर पिसरान भीखाराम 5 इमरती पत्नी भीखाराम 6 पेमाराम पुत्र गोकलाराम 7 बांकाराम 8 मूलाराम पिसरान नेमाराम 9 खेतुदेवी पत्नी चिमाराम 10 गेनाराम पुत्र अचलाराम 11 चेतनराम पुत्र कलाराम 12 जीयोदेवी पत्नी कलाराम 13 ठाकराराम पुत्र राजूराम 14 डूंगराराम पुत्र गंगाराम 15 दिलीप कुमार पुत्र घमण्डाराम 16 दिलीप कुमार पुत्र चिमाराम 17 दौलाराम पुत्र कलाराम 18 पताराम पुत्र गंगाराम 19 पूनमाराम पुत्र राजूराम 20 मांगीदेवी पत्नी घमण्डाराम 21 रेखाराम 22 लाखाराम पिसरान कलाराम 23 बगताराम 24 बनाराम पिसरान अचलाराम 25 सतपालसिंह पुत्र चिमाराम 26 सोनाराम पुत्र जुगताराम 27 हनुमानराम पुत्र गंगाराम 28 पुनमाराम 29 शिवजीराम पिसरान पुरखाराम 30 झीमों पत्नी हेमाराम जाति जाट निवासी महेशाणी गोदारों की ढाणी, रामदेरिया (हाथीतला) तहसील व जिला बाड़मेर 31 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 312/2022

दिनांक- 04/04/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महेशाणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 291 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 367/292 रकबा 10.1171 हैक्टेयर कुल रकबा 10.1657 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2023/ 1366-63

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 14/04/23

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी हाथीतला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. पदमाराम पुत्र गोकलाराम जाति जाट निवासी महेशाणी गोदारों की ढाणी, रामदेरिया (हाथीतला) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी हनुमानराम पुत्र भीखाराम वगैरह जाति जाट निवासी महेशाणी गोदारों की ढाणी, रामदेरिया (हाथीतला) तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर